[illegible]/2018/0223

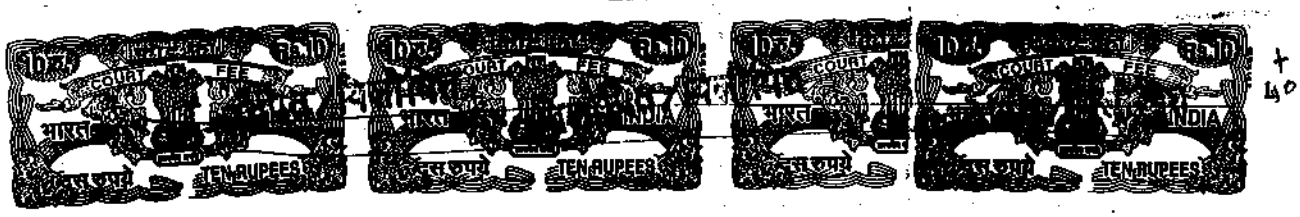

न्यायालय में श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
म0प्र0
सर्किट बेन्च रीवा

मोती लाल साहू उम्र 50 वर्ष पिता राममिलन साहू निवासी ग्राम चांदपुर तहसील बांधवगढ़ वर्तमान तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0

.....पुनरीक्षणकर्ता

अधि0 श्री सुनील [illegible]
स्था पेश/06-01-18

बनाम

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मुन्ना साहू उम्र करीब 52 वर्ष पिता स्व0 महादेव साहू निवासी ग्राम चांदपुर तहसील बांधवगढ़ वर्तमान तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0

.......अनावेदक/उत्तरदाता

पुनरीक्षण विरूद्व निर्णय न्यायालय श्रीमान अपर कमिश्नर महोदय शहडोल संभाग शहडोल के रा0प्र0क्र0 204/अपील/2013-14 निर्णय दिनांक 26.09.2017 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

मान्यवर,

पुनरीक्षण के तथ्य निम्नानुसार है :-

यहकि ग्राम राजटोला प0ह0नं0 44 कौड़िया तहसील बांधवगढ़ जिला शहडोल म0प्र0 वर्तमान तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0 के आराजी ख0नं0 174 रकवा 4.02 हे0 भूमि के भूमिस्वामी पट्टेदार स्व0 महादेव साहू जो कि पुनरीक्षणकर्ता के बाबा थे। पुनरीक्षणकर्ता के बाबा महादेव पिता अधीना तेली ने अपने जीवन काल में अपनी स्वअर्जित उक्त भूमि को पारिवारिक हिस्सा बांट के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को जरिये स्टाम्प क्र0 947 दिनांक 17.12.90 देकर स्वेच्छा पूर्वक जरिये नामांतरण पंजी क्र. 01 आदेश दिनांक 24.08.1990 को श्रीमान नायब तहसीलदार चंदिया के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के नाम नामांतरण करवा दिया गया था तब से वर्तमान समय तक उक्त भूमि के भूमिस्वामी व कब्जेदार के रूप में पुनरीक्षणकर्ता राजस्व अभिलेख खसरा खतौनी में दर्ज है। उक्त नामांतरण को कुछ समय पश्चात आपसी विवाद व अनावेदक मुन्ना लाल के बहकावे में आकर उक्त नामांतरण के विरूद्व राजस्व अपील क्र0 30/अपील/1991-92 मूल भूमिस्वामी स्व0 महादेव साहू द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ जिला शहडोल के समक्ष अपील पेश की गई वह पुनः आपसी समझौता हो जाने पर मूल भूमिस्वामी महादेव साहू अपनी अपील खारिज करवा ली गई जिसकी जानकारी अनावेदक मुन्ना साहू को थी किन्तु मुन्ना साहू द्वारा बिना अधिकार के पुनः नामांतरण पंजी क्र. 01 आदेश दिनांक 24.08.1990 के विरूद्व श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ जिला उमरिया के समक्ष

(6) (110)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

(215)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–II/निग0/उमरिया/2018/0223/भू–रा0 जिला–उमरिया

मोतीलाल साहू/मुन्ना साहू

(1)	(2)	(3)
27.08.19	प्रकरण प्रस्तुत। उभयपक्ष अनुपस्थित है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की अनुपस्थित के आधार पर यह प्रकट होता है, कि आवेदक की रूचि प्रकरण को चलाने में नहीं है। ऐसी दशा में यह प्रकरण अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। दा.द. सदस्य	